

08.09.2023 वाद पुकारा गया। कोई उपस्थित नहीं। न्यायहित में अवसर प्रदान किया गया।
पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 11.09.2023 को पेश हो।

रीना नेगी
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल